

राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड्स राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर मोड़, जयपुर-302015

टेलीफोन नं. 0141-2706830,2706032, फेक्स नम्बर :- 0141-2707679, ई-मेल:-rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांक :- प-()रा.मु./2019-20/11348

दिनांक : 27/01/2020

सहायक राज्य संगठन आयुक्त

मण्डल मुख्यालय,

समस्त।

विषय :- राज्य स्तरीय रेंजर लीडर बेसिक कोर्स के क्रम में।

महोदय,

राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड, राज्य मुख्यालय, जयपुर के वार्षिक कार्यक्रमानुसार रेंजर लीडर बेसिक कोर्स का आयोजन दिनांक 25 फरवरी से 02 मार्च, 2020 तक राज्य प्रशिक्षण केन्द्र जगतपुरा, जयपुर पर किया जा रहा है। जिसकी विस्तृत सूचनाएँ निम्नानुसार हैं -

क्र. सं.	शिविर का नाम	राज्य स्तरीय रेंजर लीडर बेसिक कोर्स
1	स्थान	स्काउट/गाइड राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा, जयपुर सम्पर्क सूत्र-मो. 9784412094 (श्री गणेश गुर्जर, सी.ओ. स्काउट,जगतपुरा, जयपुर) मो. 8003097156 (श्री बन्ना लाल, रा.प्रशि. आयुक्त, जगतपुरा, जयपुर)
2	तिथियाँ	25 फरवरी से 02 मार्च, 2020 तक। प्रथम दिवस प्रातः 10:00 बजे तक, अन्तिम दिवस दोपहर बाद।
3	योग्यता	1. छात्राओं के साथ रूचिपूर्ण कार्य करने में सक्रिय हो। 2. पूर्ण स्वस्थ हों तथा शिविर का श्रम वहन करने की क्षमता रखते हों।
4	शुल्क	1. विकास शुल्क - 200 2. पंजीकरण शुल्क - 80 कुल योग - 280
5	पंजीकरण	प्रत्येक संभागी को निर्धारित शुल्क शिविर में जमा करवाना होगा। जो संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा देय होगा। शिविर में सम्मिलित होने की सूचना दिनांक-15/02/2020 तक मण्डल मुख्यालय के माध्यम से राज्य मुख्यालय, जयपुर को भिजवायें।
6	आवश्यक पौशाक	पौशाक-ए.पी.आर.ओ. भाग-3 के अनुसार नीली साड़ी बिना बॉर्डर वाली, काला पेटीकोट, सफेद ब्लाउज साड़ी को कमर से 4 इंच तक ढकता हुआ साइड से 4 इंच चाक खुला हुआ, आस्तीन कोहनी से 1.5 इंच बाहर की ओर मुड़ी हुई हो। सामने दो ढक्कनदार जैब, शोल्डर स्ट्रैप, टेनिस कालर काले जूते, कैमल कलर के मोजे, ब्राउन नाइलोन का गाइड बेल्ट, काला पर्स, स्कार्फ, वोगल आदि।
7	सामग्री	आवश्यकतानुसार एवं मौसम के अनुकूल बिस्तर, बदलने के कपड़े, स्कैच पेन, स्वयं के खाना खाने एवं चाय पीने के बर्तन, पानी की बोतल, टॉर्च, रस्सी, कार्डशीट, स्कैच पेन एवं दैनिक उपयोगी सामग्री, नोटबुक, पेन-पेंसिल, स्केल आदि।
8	यात्रा व्यय	वास्तविक यात्रा व्यय बस/रेल का मूल टिकट प्रस्तुत करने पर नियमानुसार देय होगा। 300 कि.मी. के लिए रेलवे कन्सेशन का उपयोग किया जाना उपयुक्त होगा। रेल किराया द्वितीय श्रेणी का देय होगा। कृपया टिकट आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें। वॉल्वो बस एवं ए.सी. टिकट मान्य नहीं होगा।

